JHKH030005982024

न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

उपस्थित : विद्यावती कुमारी।

अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

निर्णय की तिथि : 21-07-2026

जिला : खूँटी।

जी0 आर0 संख्या 194/2024

कर्रा थाना कांड संख्या 75/2023

CNR No.-JHKH030005982024

राज्य सरकार द्वारा रोसालिया बान्डो--------------------------------------सूचिका।

बनाम्

1. प्रमोद पाण्डेय, उम्र करीब 21 वर्ष, पे0 स्व0 कामेश्वर पाण्डेय, सा0 बन्दीयो, थाना चन्द्रपुरा, जिला बोकारो--------------------------------------अभियुक्त।

अभियोजन पक्ष की ओर से :– श्री बरूणेय सिंह।
विद्वान सहायक लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री अमरदीप कुमार।
विद्वान सहायक एल0ए0डी0सी।

अनुलग्नक - II

घटना की तिथि	**20–10–2023**
प्राथमिकी की तिथि	**20–10–2023**
आरोप–पत्र की तिथि	**07–03–2024**
आरोप गठन की तिथि	**01–10–2024**
गवाही शुरु होने की तिथि	**20–12–2024**
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	**21–07–2026**
निर्णय की तिथि	**21–07–2026**
सजा की तिथि अगर हुई हो	**नहीं**

अभियुक्तगण की विवरणी :

कम सं0.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो धारा 428 Cr.P.C. हेतु
1.	**प्रमोद पाण्डेय, उम्र करीब 21 वर्ष, पे0 स्व0 कामेश्वर पाण्डेय, सा0 बन्दीयो, थाना चन्द्रपुरा, जिला बोकारो।**	**08–01–2024**	**21–09–2024**	**धारा–379 भा0द0वि0।**	**रिहा**		

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन साक्षी

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	रमन कुमार	पक्षद्रोही
2	रोसालिया बान्डो	सूचिका
3	मनोज कुमार बान्डो	स्वतंत्र

ख. बचाव पक्ष के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

ग. न्यायालय के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

प्रदर्शों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन

क0 सं0	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या/चिन्ह
1	लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर	प्रदर्श–**P-1/PW-2**

ख. <u>बचाव</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	प्रस्तुत नहीं किया गया	

ग. <u>न्यायालय</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

घ. वस्तु प्रदर्श

क0 सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत मामले में उपर वर्णित एकमात्र अभियुक्त प्रमोद पाण्डेय का विचारण धारा–379 भा0 द0 वि0 के अपराध के आरोप के लिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी सूचिका रोसालिया बान्डो के लिखित आवेदन के अनुसार इस प्रकार है कि उसका वाहन संख्या JH01BS-7378, ईंजन नंबर HAIDEVFHF44981, चेसिस नंबर MBLHA10BSFHF44001 है। उनका मोटरसाईकिल लोधमा चौक से दिनांक–20–10–2023 को समय लगभग 3.30 बजे चोरी हो गया।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर कर्रा थाना कांड संख्या 75/2023, दिनांक–21–10–2023, धारा–379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ जिसका अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी ने किया और घटना को सत्य पाकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में धारा–379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. दिनांक–01–10–2024 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन का आरोप का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं विचारण का दावा किया है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1. रमन कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 2. रोसालिया बान्डो एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3. मनोज कुमार बान्डो का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है।

6. अभियुक्त का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दिनांक–20–07–2026 को दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. अब निर्धारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मंतब्य</u>

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. रमन कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं। पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं की थी। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि इस केस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे किसी भी अभियुक्त को जानते–पहचानते नहीं हैं।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. रोसालिया बान्डो ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना वर्ष 2023 की है। उक्त तिथि को उनके पति जोएल बान्डो अपने मोटरसाईकल से लोधमा चौक गये थे जहां पर उन्होंने बाजार करने के लिए अपना बाईक रोड़ किनारे दुकान के सामने खड़ा कर दिया। जब उनके पति वापस लौट के आये तो देखे की उनका बाईक किसी अज्ञात चोर द्व ारा चोरी कर लिया गया है। उन्होंने बाईक को खाफी खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। घटना के संबंध में लिखित आवेदन पर उनका हस्ताक्षर हैं, पहचानती हूँ, जिसे **प्रदर्श–P1/PW2** अंकित किया गया है। अभियुक्त आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कही है कि वह इस केस के अभियुक्त को जानती–पहचानती नहीं हूँ। मेरा गाड़ी मुझे मिल चूका है। मैं यह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3. मनोज कुमार बान्डो ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घ ाटना वर्ष 2023 की है। उक्त तिथि को उनके बड़े भाई जोएल बान्डो अपनी मोटरसाईकल से लोधमा चौक गये थे जहां पर उन्होंने बाजार करने के लिए अपना बाईक रोड़ किनारे दुकान के सामने खड़ा कर दिया। जब उनके बड़े भाई वापस लौट के आए तो देखे की उनका बाईक किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। उन्होंने बाईक को खाफी खोजने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। अभियुक्त आज प्रतिनिधित्व पर है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि वे इस केस के अभियुक्त को जानते–पहचानते नहीं हैं। मेरा गाड़ी मुझे मिल चूका है।

11. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1. रमन कुमार को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अभियोजन साक्षी संख्या 2. रोसालिया बान्डो हैं जो इस मामले की सूचिका हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन की है तथा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श–P1/PW2 के रूप में की है परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि वह इस केस के अभियुक्त को जानती पहचानती नहीं हूँ। उनकी गाड़ी उन्हें मिल चुका है। वह यह केस आगे नहीं लड़ना चाहती हूँ। इस वाद में अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान गाड़ी चोरी करने वाले के रूप में नहीं किया है। यहां तक कि अभियोजन साक्षी संख्या 2. रोसालिया बान्डो जो स्वयं सूचिका हैं, ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि वे इस केस के अभियुक्त को जानते–पहचानते नहीं हैं। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

12. मैंने अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात् मैं पाती हूँ कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः मैं पाती हूँ कि **अभियुक्त प्रमोद पाण्डेय को धारा–379 भा0 द0 वि0** के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में **अभियुक्त प्रमोद पाण्डेय** को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0/–
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
21–07–2026

लेखापित

ह0/–
(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
21–07–2026